न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– संजय शर्मा

सिविल प्रकरण संख्याः– 62/2023 तारीख रजू 23.08.2023

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. मनोज कुमार जैन पुत्र श्री रामनारायण जैन, (फर्म मालिक) मैसर्स कंसल ट्रेडर्स सदर बाजार चौथ का बरवाडा, सवाईमाधोपुर निवासी गढ मोहल्ला चौथ का बरवाडा, सवाई माधोपुर
2. सुनिल अग्रवाल (पार्टनर) मैसर्स नीरज मार्केटिंग कम्पनी, जी–14, न्यू सूरजपोल मण्डी, जयपुर
3. पंकज अग्रवाल (पार्टनर) मैसर्स नीरज मार्केटिंग कम्पनी, जी–14, न्यू सूरजपोल मण्डी, जयपुर
4. विनोद कुमार मित्तल पुत्र श्री ओमप्रकाश मित्तल (नोमिनी) मैसर्स धनवर्षा ऑयल मिल्स प्रा0 लि0 एफ, 157, 158–159 रिको इण्ड. एरिया केकडी, अजमेर निवासी बागेहरा कृषि उपज मण्डी के सामने केकडी अजमेर (राज0)
5. मैसर्स धनवर्षा ऑयल मिल्स प्रा0 लि0 एफ, 157, 158–159 रिको इण्ड. एरिया केकडी अजमेर राजस्थान (निर्माता फर्म)

.........अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii), 2(v)/52 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः– **दिनांक 29.07.2025**

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान शुद्ध के लिए युद्ध के अन्तर्गत दिनांक 14.10.2022 को 01.00 पी.एम. पर मैसर्स कंसल ट्रेडर्स सदर बाजार चौथ का बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर पर पहुंचा। वहां पर मनोज कुमार जैन पुत्र रामनारायण जैन निवासी गढ मोहल्ला चौथ का बरवाडा, सवाई माधोपुर (मौके पर विक्रेता) मिला। उसे आवेदक ने अपना परिचय दिया तथा फर्म का खाद्य अनुज्ञापत्र /रजिस्ट्रेशन एवं आधार कार्ड मांगा जो उसने पेश किया। आवेदक द्वारा फर्म का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु Ground Nut Oil (Train Brand) 01 लीटर की पैकिंग में दुकान में रखी हुई थी। Ground Nut Oil (Train Brand) में गुणवत्ता/मिलावट का अंदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच Ground Nut Oil (Train Brand) के 01 लीटर की 04 पैक बोतल खरीदकर उसकी कीमत 720/– रूपये विक्रेता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता [illegible] मोहम्मद असलम के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्ष[illegible]दक द्वारा विक्रेता एवं मालिक से Ground Nut Oil (Train Brand) के [illegible] खरीद बिल की छायाप्रति प्रस्तुत की। आवेदक खाद्य [illegible] फार्म सं. 5ए की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.08.07 13:28:49 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की एक प्रति विक्रेता मनोज कुमार जैन को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 01 लीटर की 04 पैक बोतल Ground Nut Oil (Train Brand) को मूल ही लेकर तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं **H-2466** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक H-2466 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियॉं तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के एक आउटर कवॅर में लपेटकर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नूमना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2022/221 दिनांक 25.11.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/3059/एक्ट/2022/3086 दिनांक 28.10.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ** Ground Nut Oil (Train Brand) मिसब्राण्ड प्रकृति का होना पाया गया है।

उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा मिसब्राण्ड प्रकृति का Ground Nut Oil (Train Brand) का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण जरिये नोमिनी लक्ष्मी नारायण शर्मा उपस्थित हुये। अभियुक्तगण द्वारा प्रकरण जवाब पेश गया किया। प्रकरण में [illegible]

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों [illegible] आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्तगण ने मिसब्राण्डेड Ground Nut Oil (Train Brand) [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.08.07 13:28:49 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्तगण ने प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों का उल्लेख करते हुए बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अभियुक्त की फर्म से **खाद्य पदार्थ** Ground Nut Oil (Train Brand) का सेम्पल भरा गया था जिसको जयपुर की लेब द्वारा सेम्पल में एक्सपाईरी डेट नहीं होने के कारण मिसब्राण्डेड प्रकृति का माना गया है। जिसको हमने सुधार कर लिया है। अन्त में अभियुक्त द्वारा प्रकरण में न्यूनतम शास्ति अधिरोपित कर प्रकरण का निरस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/3059/एक्ट/2022/3086 दिनांक 28.10.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ** Ground Nut Oil (Train Brand) मिसब्राण्डेड प्रकृति का होना पाया गया है। जोकि नमूने में Expiry Date नहीं होने के कारण मिसब्राण्डेड आया है। अभियुक्तगण द्वारा दौराने बहस अपनी गलती मानकर उसमें सुधार कर लिया जाना अवगत कराया है। साथ ही प्रकरण में न्यूनतम शास्ति अधिरोपित करने का निवेदन किया गया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्तगण को मिसब्राण्डेड प्रकृति के **खाद्य पदार्थ** Ground Nut Oil (Train Brand) का विक्रय एवं निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 लगायत 5 पर संयुक्त रूप से 20,000/–रू0 (अक्षरे बीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक **29.07.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.08.07 13:28:49 IST
Reason: SelfAttested

(संजय ...)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर